सिंगल-यूज प्लास्टिक

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : पर्यावरणीय मुद्दे	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

प्रसंग

- केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 'एकल उपयोग वाले प्लास्टिक' के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विदित है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गत वर्ष एक गजट अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी और अब उन वस्तुओं की एक सूची को परिभाषित किया है, जिन पर अगले माह प्रतिबंध लगाया जाएगा।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

अधिसूचना

पॉलीस्टायरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित होगा।

उपयोग

सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग आमतौर पर पैकेजिंग और सर्विसवेयर जैसे बोतल, रैपर, स्ट्रॉ और बैग के लिए किया जाता है।

सीपीसीबी का निर्णय

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी निकाय है, ने 18 जून को 30 जून, 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के उपायों की एक सूची जारी की।

सिंगल यूज प्लास्टिक

सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है?

- सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन और निर्माण इस तरह से किया जाता है कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसे फेंक दिया जाए।
- भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधित नियम 2021 में सिंगल यूज प्लास्टिक को 'प्लास्टिक की ऐसी वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे नष्ट करने या रिसाइकिल करने से पहले केवल एक बार ही उपयोग में लाया जाता हो।

प्रतिबंधित सूची में शामिल मदें

- प्लास्टिक की छड़ें
- कटलरी आइटम, फिल्मों की पैकिंग/रैपिंग
- 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर

पृष्ठभूमि

- इससे पहले सीपीसीबी ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर चिन्हित वस्तुओं की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के निर्देश भेजे थे।
- इसके अतिरिक्त, एसपीसीबी और पीसीसी को प्रतिबंधित एसयूपी उत्पादन में लगे उद्योगों को वायु या जल अधिनियम के तहत जारी किए गए संचालन के लिए सहमति को संशोधित करने या निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- सीपीसीबी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक विक्रेताओं या उपयोगकर्ताओं का नेतृत्व करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों और प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माताओं को चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के निर्देश जारी किए।

सिंगल-यूज प्लास्टिक

- यह ऐसे प्लास्टिक की वस्तुओं को संदर्भित करता है, जिनका एक बार उपयोग किए जाने के बाद निपटाना आवश्यक होता है।
- सामान्य शब्दों में, सिंगल-यूज प्लास्टिक ऐसे सामान हैं, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन-आधारित रसायनों (पेट्रोकेमिकल्स) से बने होते हैं और उपयोग के तुरंत बाद जिनका निपटान करना होता है।
- सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन और निर्माण इस तरह से किया जाता है कि एक बार उपयोग होने के बाद उसे फेंक दिया जाए। इस परिभाषा के हिसाब से प्लास्टिक के तमाम उत्पाद इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें डिस्पोजेबल स्ट्रा से लेकर डिस्पोजेबल सीरिंज तक सभी शामिल हैं।
- इसके अंतर्गत वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलों (शैम्पू, डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधन), पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कॉफी कप, कचरा बैग, खाद्य पैकेजिंग आदि आते हैं।
- ऑस्ट्रेलियाई परोपकारी संगठनों में से एक मिंडेरू फाउंडेशन की 2021 की एक रिपोर्ट में उल्लिखित है कि विश्व भर में उत्पादित सभी प्लास्टिक का एक तिहाई एकल उपयोग प्लास्टिक है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित है।

सिंगल-यूज प्लास्टिक का प्रभाव

- रिपोर्ट के अनुसार, सिंगल-यूज प्लास्टिक में 2019 में विश्व भर में 13 करोड़ मीट्रिक टन फेंके गए प्लास्टिक के बहुमत के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से कुछ का दहन कर दिया जाता है अथवा भूमि में दफना दिया जाता है अथवा सीधे पर्यावरण में फेंक दिया जाता है।
- 2050 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 5-10% के लिए जिम्मेदार हो सकता है।
- वार्षिक 11.8 मिलियन मीट्रिक टन के घरेलू उत्पादन के साथ और 2.9 एमएमटी के आयात के साथ, भारत का एकल उपयोग वाले प्लास्टिक कचरे का शुद्ध उत्पादन 5.6 एमएमटी है और प्रति व्यक्ति उत्पादन 4 किलो है।

भारत में एसयूपी

- एक अनुमान के अनुसार, भारत ने वर्ष 2018 में 18.45 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया। इसी समयावधि में उत्पादित प्लास्टिक 17 मिलियन टन था।
- 2018 में प्रकाशित टेरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति औसत खपत लगभग 11 किलोग्राम है। जिसके 2022 तक बढ़कर 20 किलोग्राम होने की संभावना है।
- कुल प्लास्टिक कचरे का केवल 60% ही पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है ।
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 ने उत्पादकों और ब्रांड मालिकों को स्थानीय निकायों के परामर्श से एक कलेक्ट-बैक सिस्टम शुरू करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए अनिवार्य किया।
- इस प्रणाली को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के रूप में जाना जाता है। यद्यपि, भारत में संग्रह दक्षता मानकों के अनुरूप नहीं है।

प्रतिबंध का कार्यान्वयन

- केंद्र से सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा प्रतिबंध की निगरानी की जाएगी, जो नियमित रूप से केंद्र को रिपोर्ट करेंगे।
- राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधित वस्तुओं में लगे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं- उदाहरण के लिए, सभी पेट्रोकेमिकल उद्योग।

- स्थानीय अधिकारियों को इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया है कि उनके परिसर में एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं की बिक्री नहीं की जाएगी।
- यदि वे इन वस्तुओं का विक्रय करते पाए जाते हैं, तो मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।
- प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है - जो 5 वर्ष तक की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की अनुमति देता है।

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक संबंधी विदेशों में प्रावधान

- इस वर्ष की शुरुआत में, भारत सहित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 124 देशों ने एक समझौते को तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए भविष्य में हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के पूरे जीवन को संबोधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।
- बांग्लादेश 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया।
- न्यूजीलैंड जुलाई 2019 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया।
- चीन ने 2020 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया।
- जुलाई 2019 तक 68 देशों में अलग-अलग डिग्री के प्रवर्तन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है।
- अमेरिका में आठ राज्यों ने 2014 में कैलिफोर्निया से शुरुआत करते हुए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- 2 जुलाई, 2021 को यूरोपीय संघ (ईयू) में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर निर्देश प्रभावी हुआ। निर्देश कुछ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध हैं; एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक प्लेट, कटलरी, स्ट्रॉ, बैलून स्टिक और कॉटन बड्स को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बाजारों में विक्रय नहीं किया जा सकता है। विस्तारित पॉलीस्टाइनिन से बने कप, खाद्य और पेय कंटेनर और ऑक्सो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने सभी उत्पादों पर भी यही उपाय लागू होता है।

व्यक्त की जा रही चिंताएं

- कंपनियों ने कहा कि 1 जुलाई से प्रतिबंध लागू होने से आपूर्ति की कमी और आयातित पेपर स्ट्रॉ जैसी वैकल्पिक वस्तुओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ लागत में वृद्धि जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
- कोका-कोला इंडिया, पेप्सिको इंडिया, पार्ले एग्रो, डाबर, डियाजियो और रेडिको खेतान का प्रतिनिधित्व करने वाली एक्शन अलायंस फॉर रिसाइक्लिंग बेवरेज कार्टन (एएआरसी) ने कहा कि इस बदलाव से उद्योग को बिक्री में 3,000 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना है।

राष्ट्रव्यापी एसयूपी प्रतिबंध के संकल्प को लागू करने के लिए परामर्श एवं किये जा रहे उपाय

- वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशन में स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जिसमें एसयूपी का उन्मूलन शामिल है - फोकस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- मिशन के तहत, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को कचरे के शत-प्रतिशत स्रोत पृथक्करण को अपनाने की आवश्यकता है और सूखे कचरे (प्लास्टिक कचरे सहित) को रीसाइक्लिंग और/या मूल्य वर्धित उत्पादों के रूप में प्रसंस्करण के लिए आगे के अंशों में विभाजित करने के लिए एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) तक पहुंच हो, जिससे प्लास्टिक और सूखे कचरे की मात्रा कम से कम होकर डंपसाइट्स या जलाशयों में समाप्त हो जाए।
- जबकि 2,591 शहरी स्थानीय निकायों (4,704 में से) ने पहले ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अधिसूचना के तौर पर एसयूपी प्रतिबंध की सूचना दी है। इसके तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि शेष 2,100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय 30 जून, 2022 तक इसे अधिसूचित करें।
- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा एसयूपी 'हॉटस्पॉट' की पहचान करने और उन्हें खत्म करने की आवश्यकता होगी, जबकि समानांतर रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के समर्थन का लाभ उठाते हुए और विशेष प्रवर्तन दस्तों का गठन, औचक निरीक्षण करने और एसयूपी प्रतिबंधों को लागू करने के लिए चूककर्ताओं पर भारी जुर्माना और दंड लगाने की आवश्यकता होगी।

- मंत्रालय ने सितंबर 2021 में 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था, जो पहले के 50 माइक्रोन से सीमा का विस्तार करता था।
- दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम के पॉलीथिन बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- यह प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि निर्माताओं को ऐसे मोटे पॉलीथिन बैगों के उपाय को अपनाने का समय मिल सके, जिन्हें रिसाइकिल करना आसान हो।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिये दिशा-निर्देशों को अधिसूचित कर दिया है।
- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सम्बंधी दिशा-निर्देशों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पाबंदियों के साथ संबद्ध किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि सिंगल यूज प्लास्टिक कम उपयोगी होता है और उसका कचरा बहुत जमा होता है। यह कदम एक जुलाई, 2022 से प्रभावी हो जायेगा।
- देश में प्लास्टिक के कचरे से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

निर्णय के निहितार्थ

इससे प्लास्टिक के नये विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये रोडमैप उपलब्ध होगा।

- दिशा-निर्देशों में एक ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है, जिससे प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, प्लास्टिक के नये विकल्पों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यापार प्रतिष्ठान टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत इकट्ठा किये जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की री-साइकिल को न्यूनतम स्तर पर रखने का उपाय किया गया है। इसके साथ ही री-साइकिल किये गये प्लास्टिक को बार-बार उपयोग में लाया जायेगा। इस तरह प्लास्टिक की खपत को और कम किया जायेगा तथा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को री-साइकिल करने को प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष

- कपास, खादी बैग और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विदित है कि ये आर्थिक रूप से किफायती और पारिस्थितिक रूप से व्यवहार्य विकल्प हैं, जो आवश्यक संसाधनों पर बोझ नहीं डालेंगे, उनकी कीमतें भी समय के साथ कम होंगी और मांग में भी वृद्धि होगी।
- साथ ही, स्थायी रूप से व्यवहार्य विकल्पों की खोज के लिए और अनुसंधान एवं विकास पर बल देने के साथ इसके लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस